कद अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर मुकाम...खींवसर

गोमन्दराम बनाम लिखमाराम

मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट....नं. 115 सन् 2017

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 11.09..2017	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
.2017	प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। तथा पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर मोजुद रेकर्ड एवं बहस के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है इसलिए आगामी पेशी तक बहक उभयपक्षकारान के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित अंतरिम आदेश इस आश्य कि जारी की जाती है की मौजा भोमासर के विवादग्रस्त सुदा खेत ख.न. 1543 रकबा 38.14 बीघा, ख.न. 2957/1730 रकबा 24.10 बीघा आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वंय करे न किसी अन्य से करावें तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। वादग्रस्त खेताय का बैचान एवं हस्तानान्तरण नहीं करे। उपरोक्त अंतरिम आदेश आगामी पेशी तक प्रभावी रहेगा। अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस से तलब किया जावें अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 26.10.2017 पेश हो । सहायक कलक्टर खींवसर 4-10-17 वकील प्रार्थी ने निवेदन पेश कर इस प्रकरण का हल बाद प्रार्थी विड्रोल करने करवाया जा चुका है इसलिये अब इस पत्रावली को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है इसलिये उक्त प्रकरण —	गोमदराम

को भी नोटिस किया जावे पश्चात्
नियम अनुसार निस्तारण बाद जावक रजिस्टर में
[illegible]

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर